न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 11/2019
पंजीयन दिनांकः 02.07.2019

रतनलाल पिता जोधा जाति गुर्जर निवासी बनस्टी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. भागु बाई उर्फ बालीबाई पुत्री छोगा जाति जाट निवासी बोजुन्दा हाल मुकाम बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. हीरा पिता छोगा जाति जाट निवासी बोजुन्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. राधेश्याम पिता बद्रीनारायण जाति गोयल निवासी नया बाजार नीमच तहसील व जिला नीमच म0प्र0
4. ओमप्रकाश पिता बालुराम जाति जाट निवासी सोनियाना तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. भारती पत्नि भरत जाति व्यास निवासी कृष्णा नगर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. उप–पंजीयक उपपंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रकरण सं. 16/2018 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.05.2018

उपस्थित वक्त बहसः 1. ललित कुमार शर्मा – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. दीपक शर्मा – रेस्पोडेन्ट –1
3. चन्दनमल जणवा–रेस्पाडेन्ट–3
4. रेस्पोडेन्ट सं. 2,4,5 बावजूद सूचना अनुपस्थित
5. पूरणमल स्वर्णकार – राजकीय अभिभाषक रेस्पो–6 व 7

निर्णय **दिनांक 08.03.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थिया ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा बोजुन्दा पटवार हल्का सहनवा तहसील

चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 445 मीन, 446/1, 445 मीन, 447 मीन, 447, 220 मीन, 353 मीन जिसके नवीन आराजी नम्बर 609, 611, 612, 613 कुल किता 4 रकबा 1.06 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 616 रकबा 0.19 हैक्टेयर आराजी नम्बर 33 रकबा 0.05 हैक्टेयर आराजी नम्बर 481 रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं.1 प्रार्थिया के दादा बालु पिता प्रताप जाट के खातेदारी मे दर्ज थी। बालु के लड़का छोगा जिसका देहान्त बालु के जीवनकाल मे हो चुका था। उपरोक्त भूमि बालु के देहान्त के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं.2 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर अपने नाम विरासती नामान्तकरण खुलवा लिया। रेस्पोडेन्ट सं.1 प्रार्थिया को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक कृषि भूमियो मे पुत्री का अधिकार होने से 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 को विक्रय कर दी। उक्त कृषि भूमि मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थिया अपने हिस्से तक विक्रय कर सकता है। शेष बची भूमि को भी रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अन्य को विक्रय करने पर आमादा है। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थिया का पुश्तैनी हक निहित है। जिससे मूल वाद के निस्तारण तक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 विपक्षीगणो को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 16.03.2018 व दिनांक 09.05.2018 तक विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। व दिनांक 09.05.2018 के विपक्षीगण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 के सम्मन नोटिस जारी किये गये व जवाब हेतु नियत की गई। नियत तारीख पेशी के पूर्व दिनांक 01.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प सहनवा अटल सेवा केन्द्र पर नियत की गई। उक्त दिनांक को रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से अधिकार पत्र मूल वाद मे प्रस्तुत हुआ। जिससे प्रार्थना पत्र मे भी उपस्थिति दर्ज की गई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 7 को बिना सूचना दिये गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा बिना किसी राजीनामे के पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा बिना सूचना पत्र जारी किये लोक अदालत मे बिना राजीनामे के पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट विपक्षी सं. 2 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी नम्बर 609,611,612,613 कुल किता 4 रकबा 1.06 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट के पिता जोधा पिता किशना गुर्जर के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। जो जरिये विरासती नामान्तकरण सं. 266 दिनांक 15.01.2013 से अपीलान्ट के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 616 बानो बेगम के नाम पर दर्ज थी जो बेचान से रेस्पोडेन्ट सं. 3 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। इसी अनुसार आराजी नम्बर 33 बिकाव से नामान्तकरण सं. 1118 व 1121 से रेस्पोडेन्ट सं. 4 के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 481 रेस्पोडेन्ट सं. 5 के जरिये विक्रय पत्र दर्ज रेकार्ड है। उक्त सभी आराजीयात पंजीकृत बहनामे से विक्रय होकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 न तो विवादित आराजीयात की खातेदार है व न ही कब्जेदार है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थिया जब तक पंजीकृत बहनामो को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा लेती है रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थिया अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही थी। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना सूचना व बिना राजीनामे के लोक अदालत मे गुणावगुण पर निर्णय पारित कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बिना आधार के स्वीकार किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को निरस्त फरमाने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिपूर्ण होना बताते हुए यह निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है जिसमे उक्त आराजीयात बालु पिता प्रताप जाट की चली आ रही थी जो गलत रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 2 अकेले के नाम पर जरिये विरासत दर्ज हो जाने का नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिये रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 को तथाकथित बहनामो से कृषि आराजीयात हस्तान्तरित की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थिया की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पैतृक कृषि आराजीयात मे हक व हिस्से की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे मूल वाद के निस्तारण तक मौके पर राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया है जो न्यायोचित व वैधानिक आदेश है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थिया ने आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ नामान्तकरण सं. 180 मौजा बोजुन्दा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमे विवादित आराजीयात बालु पिता प्रताप जाट के नाम दर्ज रेकार्ड रही है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया छोगा जाट की जायन्दा पुत्री है। उक्त आराजीयात पैतृक होना प्रमाणित है जिसे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई जो खारीज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत जारी किया जाना न्यायोचित नही होने से अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को न्यायोचित होना बताते हुए अपीलान्ट की अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित कृषि आराजीयात अपीलान्ट के पिता जोधा की खरीदशुदा होकर अपीलान्ट को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.03.2018 को एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया है। तत्पश्चात् राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट सहनवा मे नियत की गई। जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 स्वंय उपस्थित हुआ। व अपनी ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दर्ज कराई गई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र पैतकृ कृषि आराजीयात से सम्बन्धित होने से स्वीकार योग्य होना मानते हुए मूल वाद के निस्तारण तक विवादित कृषि आराजीयात के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से यह न्यायालय सहमत है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट विपक्षी सं. 2 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़ प्रकरण संख्या 16/2018 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 01.05.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़